"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 681] रायपुर, गुरूवार, दिनांक 24 नवम्बर 2022 — अग्रहायण 3, शक 1944

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 नवम्बर 2022

अधिसूचना

कमांक एफ 4–03/सात–1/2022.— छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 (क्र. 12 सन् 1999) की धारा 11 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) नियम, 2000 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्व्दारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ** .– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) नियम, 2022 कहलायेंगे।

(2) ये नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होंगे।

(3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषायें** .– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 (क्र. 12 सन् 1999);

(ख) **"संहिता"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959).

3. **प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्षों की कटाई** .– (1) भूमिस्वामी, अपने भूमि में प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्षों की कटाई हेतु आवेदन प्ररूप–क में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को देगा, जो संयुक्त निरीक्षण हेतु राजस्व निरीक्षक से अनिम्न राजस्व अधिकारी/कर्मचारी एवं वनपाल से अनिम्न वन अधिकारी/कर्मचारी को अग्रेषित करेगा। वृक्षों के संबंध में भूमिस्वामी के हक, राजस्व अभिलेखों में पंजीयन, वृक्षों की शुष्कता/परिपक्वता, भूमिस्वामी के कृषि/व्यवसाय हेतु कटाई की अपरिहार्यता आदि को शामिल करते हुए, निरीक्षण प्रतिवेदन प्ररूप–ख में, 30 कार्य दिवस के भीतर, प्रेषित की जाएगी।

(2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आवेदन की प्राप्ति के 45 कार्य दिवस के भीतर आवेदक एवं वन मण्डलाधिकारी को अपनी अनुज्ञा प्ररूप–ग में भेजेगा। यदि आवेदक को अपने आवेदन पर 45 कार्य दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का लिखित विनिश्चय प्राप्त नहीं होता है, तो वह दूसरे लिखित आवेदन

व्दारा स्मरण पत्र दे सकेगा। यदि अगले 30 कार्य दिवस के भीतर पुनः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का लिखित विनिश्चय प्राप्त नहीं होता है, तो यह उपधारित किया जायेगा कि आवेदन पर अनुज्ञा प्रदान कर दी गई है तथा आवेदक, आवेदित वृक्षों की कटाई हेतु स्वतंत्र होगा। इस संबंध में हुए विलंब एवं नियमों के उल्लंघन, यदि कोई हों, के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उत्तरदायी होगा।

(3) एक कैलेण्डर वर्ष में, एक धारित भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगे अधिकतम 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से एवं अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(4) छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, भूमिस्वामी वृक्षों की कटाई कर सकेगा। सक्षम अनुज्ञा की प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक अभिवहन सुनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए, कुल मूल्य का 95 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 05 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से, प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 05 गुना की संख्या में, वन विभाग व्दारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग व्दारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी, प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी ।

(5) इन नियमों के तहत स्वीकृत अनुज्ञा, आवेदन के दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष तक विधिमान्य होगी।

4. **रोपित वृक्षों की कटाई**.— (1) छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, भूमिस्वामी अपने भूमि में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई, राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर, करवा सकेगा। कटाई से एक माह पूर्व, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी को कटाई का कारण, प्रजाति एवं संख्या स्पष्ट उल्लेखित करते हुए, सूचना प्ररूप–घ में देना आवश्यक होगा। सूचना के साथ पंजीयन संबंधी राजस्व अभिलेख एवं स्वघोषणा–पत्र प्ररूप–ड. में देना होगा। भूमिस्वामी व्दारा प्रस्तुत सूचना एवं स्वघोषणा–पत्र का दस्तावेजी एवं भौतिक सत्यापन, वृक्ष कटाई के पूर्व, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पटवारी एवं वनपाल के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगा।

(2) भूमिस्वामी व्दारा लिखित में इच्छा व्यक्त किए जाने पर, उसकी भूमि में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई वन विभाग व्दारा की जा सकेगी। आवेदन की प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक अभिवहन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए, कुल मूल्य का 95 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 05 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से, प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 05 गुना की संख्या में वन विभाग व्दारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग व्दारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी।

5. **उल्लंघन पर शास्ति**.— (1) जब किसी राजस्व अधिकारी का यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वृक्ष, संहिता अथवा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में काटा गया है, तो राजस्व अधिकारी द्वारा अथवा उसके लिखित आदेश के अन्तर्गत ऐसे वृक्ष को जब्त किया जा सकेगा।

(2) जहां राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से भिन्न कोई अधिकारी हो, तो वहां ऐसी जब्ती का प्रतिवेदन, उसके द्वारा 07 कार्य दिवस के भीतर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को ऐसी कार्यवाही हेतु पेश किया जायेगा, जैसा कि वह संहिता की धारा 253 के अन्तर्गत करना उचित समझे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जनक प्रसाद पाठक, विशेष सचिव.

प्ररूप–क

(नियम 3 (1) देखिये)

वृक्ष (वृक्षों) की कटाई हेतु आवेदन

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग.....जिला.....छत्तीसगढ़

विषय :– वृक्ष (वृक्षों) की कटाई हेतु आवेदन ।

ग्राम .....पटवारी हल्का नंबर ..... तहसील ....में स्थित मेरे हक एवं आधिपत्य के भूमि खसरा क्रमांक.....रकबा.....का विवरण निम्नानुसार है:–

(क) प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या.....

(ख) रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या .....

(ग) इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की पूर्व अनुशंसा दिनांक..... .....को दी गई थी।

(घ) खाते पर सह–खातेदारों का नाम.....

उक्त वृक्षों में से मुझे कुल.....(शब्दों में.....)

वृक्ष कटाई करवानी है, प्रजाति एवं संख्या सहित, जिन्हें काटने का कारण निम्नानुसार है:–

(क) शुष्क वृक्षों की प्रजाति, संख्या और भौतिक स्थिति..... .....

(ख) परिपक्व वृक्षों की प्रजाति, संख्या और भौतिक स्थिति.....

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु वृक्षों की प्रजाति, संख्या और भौतिक स्थिति..... .....

(घ) अन्य कारण .....

कृपया उपरोक्त उल्लिखित वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा प्रदान करने का कष्ट करें।

भूमिस्वामी का नाम.....
दिनांक सहित हस्ताक्षर.....

संलग्नः–

1. बी–1/खसरा
2. सहखातेदारों की सहमति का शपथपत्र
3. बैंक खाते का विवरण
4. रोपण स्थल की सभी दिशाओं से लिए गये चार फोटोग्राफ
5. सक्षम अधिकारी व्दारा जारी जाति प्रमाणपत्र

पावती

.....पिता/पति श्री..... निवासी..... ..... से (दिनांक).....को आवेदन पत्र प्राप्त किया गया।

(कार्यालय की सील) (प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

प्ररूप–ख

(नियम 3 (1) देखिये)

निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग.....जिला.....छत्तीसगढ़

विषय :– वृक्ष कटाई के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन ।

संदर्भ :– आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक.....दिनांक.....

संदर्भित आदेश के अनुपालन में, संयुक्त स्थल निरीक्षण (दिनांक)..... को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे–

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार .....
(ख) सरपंच/पंच .....
(ग) पटवारी/कोटवार .....
(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी .....

वृक्षों के पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी–1/खसरा) के अनुसार भूमि में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार हैः–

(क) प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या .....

(ख) रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या .....

(ग) इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की पूर्व अनुज्ञा दिनांक .....को दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से दर्शित होता है कि–

(क) शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या .....

(ख) परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या .....

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु वृक्षों की प्रजाति और संख्या .....

(घ) वृक्ष कटाई के नियम, 2022 के नियम 2 की प्रयोज्य खण्ड, यदि कोई हो, ...

(ड.) अन्य विवरण .....

राजस्व अधिकारी का नाम,
पदनाम
हस्ताक्षर.....

वन अधिकारी का नाम,
पदनाम
हस्ताक्षर.....

.

प्ररूप–ग
(नियम 3(2)देखिये)
अनुज्ञा

प्रति,

..... उम्र.....

पिता / पति ..... श्रेणी.....

ग्राम..... पटवारी हल्का नंबर.....

तहसील..... थाना.....

जिला.....

विषय :– प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुज्ञा।

विषयान्तर्गत आपका आवेदन (दिनांक).....को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन (दिनांक).....को जारी किया गया। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार हैः– .....
.....

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि खसरा नंबर.....ग्राम.....
..... पटवारी हल्का नंबर ..... तहसील.....स्थित वृक्ष, जिनकी प्रजाति.....
..... एवं संख्या (क्रमशः) .....है, को काटे जाने पर, संहिता के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

यह अनुज्ञा, आवेदन दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग.....
जिला.....(छ.ग.)

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला.....
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल.....को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार, तहसील..... को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग.....
जिला.....(छ.ग.

प्ररूप–घ

(नियम 4(1) देखिये)

कृषि के रूप में रोपित वृक्षों को काटने के पूर्व हेतु सूचनापत्र

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुभाग .....जिला.....छत्तीसगढ़।

विषय :– भूमि में रोपित वृक्षों की कटाई हेतु सूचना पत्र।

महोदय,

मै ..... पिता/पति का नाम .....ग्राम..... पटवारी हल्का नंबर..... तहसील..... थाना.....जिला..... छत्तीसगढ अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर.....ग्राम.....में पूर्व में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई करना चाहता हूं, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

(1) काटे जाने वाले वृक्षों की प्रजाति ....

(2) काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या (क्रमशः) .....

इस सूचना पत्र की पावती की तिथि को प्रथम दिन माना जाकर, 30 कार्य दिवस के पश्चात्, मेरे द्वारा उपरोक्त वृक्षों की कटाई प्रांरभ की जायेगी, यदि इस अवधि के भीतर सक्षम अधिकारी के द्वारा कोई रोक नहीं लगाई जाती है।

काटे गये वृक्षों का, छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार, अभिवहन किया जायेगा।

संलग्न–

1. पंजीयन से संबंधित राजस्व अभिलेख (पांचसाला खसरा) की प्रति

2. स्वघोषणा–पत्र

स्थान– .....
दिनांक– .....

(भूमिस्वामी के हस्ताक्षर)

प्रतिलिपि–

1. कलेक्टर, जिला.....छत्तीसगढ़

2. वनमंडलाधिकारी.....

3. वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र..... जिला.....

(भूमिस्वामी के हस्ताक्षर)

प्ररूप–ड.
नियम 4(1) देखिये)
स्वघोषणा–पत्र

मैं.....उम्र..... पिता/पति का नाम .....श्रेणी.....ग्राम.....
..... पटवारी हल्का नंबर.....तहसील.....थाना..... जिला.....
...शपथपूर्वक घोषित करता हूं कि,–

1. मैं अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर .....रकबा..... ग्राम.....प.ह.नं..... में कृषि के रूप में रोपित निम्नानुसार प्रजातिवार संख्या में, वृक्षों को काटना चाहता हूं।
....

2. मेरे व्दारा छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 का पालन किया जाएगा ।

स्थान–.....
दिनांक–.....

भूमिस्वामी का हस्ताक्षर

Atal Nagar, the 24th November 2022

NOTIFICATION

No-F-4-03/Seven-1/2022.— In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Chhattisgarh Adim Janjatiyon ka Sanrakshan (Vraksho me Hit) Adhiniyam, 1999 (No. 12 of 1999) and in supersession of Chhattisgarh Adim Janjatiyon ka Sanrakshan (Vrakshon me Hit) Niyam, 2000, the State Government, hereby, makes the following rules, namely: -

RULES

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Adim Janjatiyon ka Sanrakshan (Vrakshon me Hit) Niyam, 2022.

(2) These rules shall be applicable in the whole State of Chhattisgarh.

(3) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Act"** means the Chhattisgarh Adim Janjatiyon ka Sanrakshan (Vraksho me Hit) Adhiniyam, 1999 (No.12 of 1999);

(b) **"Code"** means the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

3. **Felling of naturally grown trees.–(1)** Bhumiswami shall give application in Form-A, for felling of naturally growth trees on his land, to Sub-Divisional Officer (revenue), who will forward it for joint inspection to revenue officer/staff not below Revenue Inspector and forest officer/staff not below Vanpal. Inspection report in Form-B, including the title of Bhumiswami with respect to the trees, registration in revenue records, death/maturity of trees, indispensability of felling for agriculture/business of Bhumiswami etc, shall be sent within 30 workdays.

(2) Sub-Divisional Officer (revenue) shall send his permission in Form-C, to applicant and Divisional Forest Officer, within 45 workdays of receiving the application. If the applicant does not receive written decision of Sub-Divisional Officer (revenue) on his application within 45 workdays, he may give reminder by another written application. If any written decision of Sub-Divisional Officer (revenue) is again not received in further period of 30 workdays, then it shall be presumed that the permission has been given on the application and the applicant shall be free for felling of asked trees. The Sub-Divisional Officer (revenue) shall be responsible for the delay in this regard and the contravention of rules, if any.

(3) The felling of naturally grown trees may be permitted for maximum 04 trees per acre and maximum 10 trees in total over a land holding, in a calendar year.

(4) Bhumiswami may cut down trees subject to the provisions of the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001, framed under the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No.9 of 1969) and Indian Forest Act, 1927 (No.16 of 1927). Within 30 workdays of receiving competent permission, Divisional Forest Officer, ensuring the felling of trees and transit to depo and calculating the value of log as per fixed rates, shall deposit 95% of total value in bank account of the Bhumiswami, and remaining 05% value shall be deposited in a fixed account of forest department. From deposited amount, forestation and their upkeep by forest department shall be done in number 05 times of each felled tree. Trees of minimum 6 feet shall be planted by forest department and the report of plantation shall be given to Collector, through Sub-Divisional Officer (revenue), each year.

(5) The permission, granted under these rules, shall be valid till one calendar year from the date of application.

4. **Felling of planted trees.-** (1) Bhumiswami may cut down trees planted as agriculture in his land, subject to the provisions of the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001, framed under the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No.9 of 1969) and Indian Forest Act, 1927 (N0.16 of 1927) on the basis of registration of the revenue record. The intimation in Form-D clearly mentioning the reason of cutting, species and number, is necessary to be given, one month prior to the cutting, to the Sub-Divisional Officer (revenue) and Forest Range Officer. The revenue records related to registration and self declaration in Form-E are to given with the intimation. Sub-Divisional Officer (revenue) shall ensure, through Patwari and Vanpal, the documentary and physical verification of the intimation and the self-declaration provided by Bhumiswami, before the felling of trees.

(2) The forest department, on written expression by the Bhumiswami, may cut down trees planted as agriculture in his land. Within 30 workdays of the receiving the application expression. Divisional Forest Officer, ensuring the felling of trees and transit to depo and calculating the value of log as per fixed rates, shall deposit 95% of total value in bank account of the Bhumiswami, and remaining 05% value shall be deposited in a fixed account of forest department. From deposited amount, forestation and their upkeep by forest department, shall be done in number 05 times of each felled tree. Trees of minimum 6 feet shall be planted by forest department and the report of plantation shall be given to Collector, through Sub-Divisional Officer (Revenue), each year.

5. **Punishment on contravention.-** (1) When any revenue officer has reason to believe that a tree has been cut in contravention of the provisions of the Code or the Act, such tree may be seized by or under the written order of the revenue officer.

(2) Where the revenue officer is an officer other than the Sub-Divisional Officer (revenue) a report of such seizure shall, within 07 workdays, be made by him to the Sub-Divisional Officer (Revenue), for such action as he may deem fit under Section 253 of the Code.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JANAK PRASAD PATHAK, Special Secretary.

FORM-A
(See rule 3 (1))
APPLICATION FOR FELLING OF TREE(S)

To,

Sub-Divisional Officer (revenue)
Sub-Division.....District.....Chhattisgarh

Subject:- Application for felling of tree(s).

The details of the land Khasra number ..... area .....in village..... Patwari Halka number ..... Tahsil ---------- under my tittle and possession is as follows:-

(a) Species and number of trees grown naturally ----------

(b) Species and number of trees planted ----------

(c) Date of previous recommendation for felling of trees grown naturally on this holding ----------

(d) Name(s) of co-owner(s) in holding ---------- ----------

Felling of total.....(in words.....) trees is to be done, the reason along with species and number is as follows:-

(a) Species, number and physical status of dead trees .....

(b) Species, number and physical status of mature trees ----------

(c) Species, number and physical status of trees to be cut in interest of agriculture/business ----------

(d) Other reason ----------

Kindly provide permission for felling of above mentioned trees.

Name of Bhumiswami .....

Signature with date .....

Attached:-

1. B-1/Khasra
2. Affidavit of consent of co-owner
3. Details of Bank Account
4. Four photographs of the plantation site from all directions.
5. Caste Certificate issued by Competent Officer

RECEIPT

Received the application from .....Father/Husband ..... resident of ..... on .....(date).

(SEAL OF THE OFFICE)

(SIGNATURE OF RECEIVER)

FORM-B
(See rule 3 (1))

INSPECTION REPORT

To,

Sub-Divisional Officer (revenue)
Sub-Division.....District.....
Chhattisgarh

Subject:- Inspection report regarding felling of trees.

Ref.- Memo No..... dated ..... of your court.

In obeyance to the referred order, the joint field inspection was done on ..... (date). The following were persent as witness during the field inspection-

(a)Applicant and his kin ----------

(b)Sarpanch/Panch----------

(c)Patwari/Kotwar ----------

(d)Independent local witness ----------

The details of trees on the land as per registration of trees and revenue record (B-1/Khasra) are as follows:-

(a)Species and number of trees grown naturally .....

(b)Species and number of trees planted .....

(c)Date of previous permission for felling of trees grown naturally on this holding ----
---

Field inspection shows that,-

(a) Species and number of dead trees ----------

(b) Species and number of mature trees ----------

(c) Species and number of trees to be cut in interest of agriculture/ business ------
---

(d) Applicable clause of rule 2 of the Rules of Felling of Trees, 2022, if any, ...

(e) Other detail .....

Name of revenue officer--------
Post ----------

Signature----------

Name of forest officer-------
Post ----------

Signature----------

FORM-C
(See rule 3 (2))

PERMISSION

To.

…………………………………………………Age…………………..

Father/Husband…………………………..Category…………………

Village………………. ….Patwari Halka number………………

Tahsil……………… Thana …………… District………………….

Sub:- Permission for felling of trees grown naturally.

Your application under the subject was received in this office on…………….(date). The memo for joint inspection of revenue department and forest department was issued on……………(date). The facts mentioned in the application was verified. The status on field, of trees applied for felling is as follows: --

Based on records and field inspection, I conclude, that the felling of trees of species………. and number (respectively)…………… present on Khasra Number…….. Village………. Patwari Halka Number……………… Tahsil……….. is not in contravention of provisions of the Code. Hence, the permission on application for felling of trees is granted.

This permission will be void on non-compliance of the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001, framed under the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969) and Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927).

This permission is valid till one calendar year from the date of application.

Sub-Divisional Officer (Revenue)
Sub-Division…………………….
District……………………… (C.G.)

Copy to:

1. Collector, District………………..
2. Divisional Forest Officer, Division…………….,
   for necessary action.
3. Tahsildar, Tahsil…………. for updating of revenue records after felling of trees.

Sub-Divisional Officer (Revenue)
Sub-Division…………………….
District…………………… (C.G.)

FORM-D
(See rule 4 (1))

INTIMATION BEFORE FELLING OF TREES PLANTED AS AGRICULTURE

To

Sub-Divisional Officer (revenue)
Sub-Division.....District.....
Chhattisgarh.

Sub:- Intimation of felling of trees planted on land.

I..... Father/Husband..... Village.....Patwari Halka Number..... Tahsil..... Thana..... District..... would like to cut down trees planted as agriculture earlier on land owned by me, Khasra Number..... village..... . Detail is as follows-

1.Species of trees to be cut .....

2.Numbers (respectively) of trees to be cut.....

I shall begin the felling of above trees after the period of 30 workdays, considering the receipt of the intimation as the first day, if no prohibition is imposed by competent officer within this period.

The transit of the log shall be in accordance with applicable provision of the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001, framed under the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969) and Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927).

Attached

1. Copy of revenue record (Panchasala Khasra) related to registration.
2. Self-declaration

Place.....
Dated.....

(Signature of Bhumiswami)

Copy to:

1. Collector, District.....Chhattisgarh.
2. Divisional Forest Officer.....
3. Forest Range Officer, Range....., District.....

(Signature of Bhumiswami)

FORM-E
(See rule 4 (1))
SELF-DECLARATION

I.....Age.....Father/Husband ..... Category.....Village ..... Patwari Halka Number..... Tahsil..... Thana..... District..... declare solemnly that-

1. I want to cut the trees, in number specified below with species, planted as agriculture in land of my ownership Khasra Number..... Area.....Village.....Patwari Halka Number..... ....

2. I shall follow the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001, framed under the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969) and Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927).

Place.....
Dated.....

(Signature of Bhumiswami)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.